न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 01/16 निर्णय दिनांकः– 18–02–2020
(आरसीएमएस संख्या 2016/00088)

1. छगनलाल पुत्र स्व. रूपाराम जाति मेघवंशी निवासी मढ़ तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. सुरेन्द्र सिंह
2. बलविन्द्र सिंह

पुत्र स्व. रतन सिंह जाति जट सिख निवासी कोलायत

3. बलजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी एनएच 15 तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह बजवा जाति जटसिख निवासी गुरूद्वारे के पास तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. महेन्द्र सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2015
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र गहलोत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नायब सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री जयदीप कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2015 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम मढ़ तहसील कोलायत के गत् खसरा नम्बर 225/185 तादादी 55 बीघा व खसरा नम्बर 184 तादादी 30 बीघा कुल 85 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज चला आ रहा है। अपीलांट को खसरा नम्बर 185 मिन में से दिनांक 12–01–1962 को 35 बीघा व दिनांक 03–06–1965 को 20 बीघा इस प्रकार कुल 55 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। खसरा नम्बर 185 मीन आगे चलकर खसरा नम्बर 225/185 कायम हुआ। खसरा नम्बर 185 मीन बड़ा खसरा होने के कारण अपीलांट के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों यथा मूल सिंह पुत्र अणुत सिंह को दिनांक 12–07–1951 को 89 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित की गई। जिसका बट्टा नम्बर 223/185 कायम हुआ। उक्त भूमि मूल सिंह की मृत्यु के उपरान्त उसकी बेव केसर के नाम दर्ज की गई। केसर ने उक्त भूमि में से 23 बीघा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 को दिनांक 13–05–1975 को विक्रय कर दी तथा शेष भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट की भूमि से रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं होते हुए भी अपीलांट के धारण की भूमि को अपनी खरीदशुदा भूमि बताते हुए अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि की धोषणा व चिरनिषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपने दावे के समर्थन में तमाम राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया था जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक साबित होते थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, गवाह, साक्ष्यों, संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य, प्रस्तुत नजरी नक्शें व अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही होना था। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट के धारण की भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट ही प्राप्त की गई ना ही पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें आदि का ही अवलोकन किया गया। जबकि अपीलांट/वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी सवंत् 2023 से 2054 प्रस्तुत की गई थी। जिससे वादग्रस्त भूमि अपीलांट/वादी के नाम दर्ज होना साबित था। फिर भी अदालत मातहत द्वारा मात्र अपीलांट के दावे को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत गवाहान को आधार मानकर अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में आगे बताया कि पक्षकारों के मध्यम वादग्रस्त भूमि को लेकर वर्ष 1982 से विवाद विभिन्न न्यायालयों में जैरकार रहा है। कालान्तर में प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 01–07–1998 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। उक्त रिमाण्ड प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा तनकीयात् कायम की गई कि आया विवादग्रस्त आराजी वादपत्र के पैरा संख्या 8 में दर्ज आसा पासा वाली कृषि भूमि पर खातेदारी व कब्जा काश्त वादी का होने से इस पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा अपने पक्ष में करवाने का वादी मुश्तहक है? उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी/अपीलांट पर था। अपीलांट/वादी द्वारा उक्त तनकी को साबित करने बाबत् तमाम दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरियों, जमाबन्दी व नकल पैमाईश नक्शा आदि प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए उक्त तनकी अपीलांट/वादी के विरूद्व निर्णित की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील में यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर अपीलांट के वाद को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से की गई है। जबकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना चाहिए था कि वे वादी/अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर दखंलदाजी नहीं करे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 111, आरआरडी 1987 पेज 202, आरआरडी 1994 पेज 280, आरआरडी 1984 पेज 851 की नजीर पेश की।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर कॉमन बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट/वादी का कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि कभी भी अपीलांट के कब्जे काश्त में नहीं रही है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र खारिज होने पर अपीलांट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 23–03–1986 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट की उक्त अपील भी दिनाक 05–07–1993 को खारिज होने पर अपीलांट/वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी करने पर दिनांक 01–07–1998 को उक्त प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई लेना–देना नहीं है। अपीलांट यदि अपने आप को उक्त भूमि का खातेदार स्वीकार करते है कि उन्हें धारा 88 के तहत वादपत्र लाने का कोई औचित्य नहीं था।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट छगनलाल द्वारा स्वमेव अपने बयानों में अभिलिखित किया गया है कि खसरा नम्बर 185 मिन के बट्टा नम्बरों में मूल सिंह को पहले आवंटित होना बताया है तथा यह भी बताया है उसकी भूमि कोलायत मढ़ सड़क के चिपते पश्चिम की तरफ स्थित है तथा जोकि मढ़ से आगे सड़क जाती है उस पर होने का कथन किया है। इसी क्रम में अपीलांट द्वारा यह भी बयानों में कहा है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार कोलायत दिनांक 26–09–2001 के समय वह स्वयं मौजूद था। ऐसीस्थिति में अपीलांट स्वयं अपने कथनों से बाधित है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित दिशा–निर्देशों के अनुसरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते, अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व पत्रावली पर गहवान व साक्ष्य का विवेचन करते हुए यह पाये जाने पर की वादाधीन भूमि पर अपीलांट/वादी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि के अभिलिखित काबिज काश्तकार है तथा एक विधिक रिकार्डेड खातेदार की भूमि पर अपीलांट/वादी अपना वाद किस आधार पर लाना चाहते है साबित करने करने में असफल रहे है। अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 जोकि वादग्रस्त भूमि के बोनाफाईड परचजेर है ने बहस करते हुए कथन किया उनके द्वारा जो भूमि क्रय की गई है उक्त भूमि का कोई विवाद नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम मढ़ तहसील कोलायत के गत् खसरा नम्बर 225/185 तादादी 55 बीघा व खसरा नम्बर 184 तादादी 30 बीघा कुल 85 बीघा भूमि के खातेदार अधिकारों की धोषणा व चिर निषेधाज्ञा हेतु अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वादपत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से खारिज करने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य मुख्य विवाद वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त व अपने– अपने धारण की भूमि को सुरक्षा को लेकर है। दौराने बहस दोनों पक्षकारों द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि खसरा नम्बर 185 मिन एक बड़ा खसरा है तथा अपीलांट/वादी व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण को उक्त खसरा नम्बर 185 में से भूमि आवंटित की गई है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विवाद वर्ष 1986 से निरन्तर जैरकार चल रहा है। पूर्व में उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर द्वारा दिनांक 22–03–1986 को निर्णित करते हुए रेस्पोडेन्ट/वादी के वाद में निशानदेही के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश दिनांक 22–03–1986 को विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जोकि अपील संख्या 90/86 के रूप में दर्ज हुई तथा उक्त अपील का निर्णय दिनांक 05–07–1993 को पारित करते हुए यह अभिलिखित किया गया था कि पीठासीन अधिकारी ने एकपक्षीय तहसीलदार की रिपोर्ट, एक पक्षीय दस्तावेजी साक्ष्य, के आधार पर कैम्प कोर्ट में निर्णय सुना दिया गया। **उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व क्या मौका देखा? क्या शहादत ली? विवादित भूमि की पहचान कैसे की गई? आदि के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई।** उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करने पर उक्त निगरानी दिनांक 01–07–1998 को स्वीकार करते हुए जवाबबन्द करने के स्तर से आगे विधि अनुसार कार्यवाही कर प्रकरण का पुनः निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 01–07–1998 में न्यायालय हाजा के इस अभिकथन को अस्वीकार नहीं किया कि क्या मौका देखा? क्या शहादत ली व विवादित भूमि की पहचान कैस की गई आदि।

प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णयों के अवलोकन से यह तथ्य सामने उभर कर आता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण मौके के निरीक्षण व विवादित भूमि की वास्तवकि पहचान के उपरान्त ही होनी है व इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–1993 में अभिलिखित भी किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व उच्चतर न्यायालयों द्वारा पारित दिशा–निर्देशों की पालना किये बिना पारित किया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने व विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति की पहचान

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना चाहिए था क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा अपने–अपने धारण की भूमि पर अपना–अपना कब्जा काश्त बताया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलें में विवाद के मुख्य बिन्दु को निपटाने के बजाय केवल मात्र अपीलांट/वादी का वाद बिना अधिकार, आधारधीन व सबूत के अभाव में प्रस्तुत होने के आधार पर खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील से पक्षकारों के हितों की सुरक्षा होने के बजाय प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

9. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, कोलायत दिनांक 29–10–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट/रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि के संबंध में विवाद का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें। तक तब रेस्पाडेन्ट, अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की कोई दखंलदाजी नहीं करें।

10. निर्णय आज दिनांक 18–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 18:06:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: